

प्रपत्र-क
मतदाता होने का शपथ पूर्वक घोषणा

मैं पिता/पति उम्र
.... वर्ष, * नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत के वार्ड संख्या .
..... थाना जिला, बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती
हूँ :-

कि मेरा नाम * नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत के
वार्ड संख्या की मतदाता सूची के क्रमांक पर दर्ज है तथा इसके अलावे इस
नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम अंकित नहीं है। यह भी कि राज्य या
राज्य के बाहर के अन्य किसी * नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत/* ग्राम पंचायत के लिए
गठित मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है :

या

कि मेरा नाम उक्त के अलावे निम्नलिखित * नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत/*
ग्राम पंचायत के वार्ड के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है :

क्रमांक	जिला का नाम	* नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत /* ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5

चूँकि मेरा नाम इस * नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत के लिए गठित मतदाता सूची
के अलावे उक्त * नगर निगम/* नगर परिषद्/* नगर पंचायत/* ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है,
अतः मेरे द्वारा वहाँ से नाम विलोपन हेतु संबंधित निबंधन पदाधिकारी के यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
निर्धारित प्रपत्र-3 में आपत्ति दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

या

मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के 180 दिनों तक निवास
करने संबंधी दिशा-निर्देश/प्रावधान से कपटपूर्वक बचने हेतु एवं वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने
के प्रयोजनार्थ मातृ निर्वाचक नामावली अर्थात् बिहार विधानसभा के निर्वाचक नामावली में विधानसभा
क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया गया है।

मैं इस नगर निकाय के अलावे किसी अन्य नगर निकाय/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम
रहने पर भी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मतदाता के रूप में मताधिकार का उपयोग नहीं
करूँगा/करूँगी।

यदि निर्वाचन के उपरांत मतदाता घोषणा पत्र में अंकित हलफनामा गलत पाया गया और
अकाट्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि किसी दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (पंचायत/नगरपालिका)
में पूर्व से दर्ज नाम को जानबूझ कर छिपाया गया है, अथवा उसे विलोपित करने हेतु आवेदन संवीक्षा
के पूर्व विहित प्रपत्र में नियमानुसार नहीं दिया गया है, तो एक ही समय में एक साथ दो स्थानों पर अर्हता
के सह-अस्तित्व के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 475 के तहत अर्जित अर्हता
शून्य समझी जाएगी एवं मतदाता होने की अर्हता से संबंधित मेरा दावा मान्य नहीं होगा।

स्थान -

दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।